

CHAPTER XII

THE MANNER OF EXECUTION OF SUBSIDY PROGRAMMES, INCLUDING THE AMOUNTS ALLOCATED AND THE DETAILS OF BENEFICIARIES OF SUCH PROGRAMMES

खनिज राजस्व को पंचायतों को स्थानान्तरित करना प्रस्तावित:

क्षेत्र के विकास हेतु खान विभाग को प्रतिवर्ष जो रॉयल्टी की राशि आय के रूप में प्राप्त होती है उसका एक प्रतिशत भाग विभिन्न पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाता है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 3 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2012-13 में प्राप्त शुद्ध रॉयल्टी में से राशि रूपया 5663.75 लाख वित्त विभाग द्वारा सीधे ही सम्बन्धित जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई।

खान मजदूरों के लिये कल्याणकारी योजना

खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य हेतु वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रशासनिक बोर्ड (REHAB) का गठन किया गया है, जिसमें वित्त, खान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवों की बोर्ड की बैठक में श्रमिकों के स्वास्थ्य व कल्याण हेतु निर्णय लिया जाता है। वित्त विभाग के स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर त्मठ के अन्तर्गत सेस के माध्यम से सिलिकोसिस एवं ऐस्बेस्टोसिस बीमारी से मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को रूपया 3.00 लाख एवं इस बीमारी से ग्रसित खनन श्रमिक को रूपया 1.00 लाख देने का प्रावधान रखा गया है। इस मद में वर्ष 2013-14 के दौरान जिला जोधपुर (52.00 लाख) जिला करौली (40.00 लाख) एवं जिला उदयपुर (22.00 लाख) कुल राशि रूपया 114.00 लाख आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राशि 2264.63 लाख निदेशक (स्वास्थ्य) को चिकित्सा सुविधा जैसे दवाईयों, उपकरण आदि की खरीद हेतु स्थानान्तरित की गई है।

खान श्रमिकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान देते हुए मार्च 2014 तक 242634 एवं 199067 श्रमिकों का क्रमशः स्वास्थ्य परीक्षण एवं बीमा करवाया जा चुका है।